



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01022022-233048
CG-DL-E-01022022-233048

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 90]
No. 90]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 1, 2022/माघ 12, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 1, 2022/ MAGHA 12, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2022

सं. 01/2022-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा.का.नि. 90(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान होने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 11/2017 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 30 जून, 2017 जो संख्यांक सा.का.नि. 793(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी, का और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में,-

(i) स्तम्भ (3) में क्र.सं. 2 के सामने, मद (ii) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक को 1 अक्टूबर, 2022 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परन्तु इस क्र. सं. में अंतर्विष्ट कोई बात मोटर स्पिरिट जिसे साधारणतया पेट्रोल के रूप में जाना जाता है, जो उपभोक्ताओं को फुटकर विक्रय के लिए आशयित है, एथेनॉल या मेथनॉल के साथ इतना मिश्रित नहीं है कि मिश्रित मोटर स्पिरिट के लिए समय-समय पर भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देशों के अनुरूप हो।” ;

(ii) क्र. सं. 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को 1 अक्टूबर, 2022 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“2क	2710	मोटर स्पिरिट जिसे साधारणतया पेट्रोल के रूप में जाना जाता है, जो उपभोक्ताओं को फुटकर विक्रय के लिए आशयित है, एथेनॉल या मेथनॉल के साथ इतना मिश्रित नहीं है कि मिश्रित मोटर स्पिरिट के लिए समय-समय पर भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देशों के अनुरूप हो - (i) ब्रांड नाम के बिना (ii) ब्रांड नाम के साथ	रु.3.40 प्रति लीटर रु. 4.60 प्रति लीटर
-----	------	---	---

(iii) स्तम्भ (3) में, क्र. सं. 3 के सामने, मद (ii) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक को 1 अक्टूबर, 2022 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परन्तु इस क्र. सं. में अंतर्विष्ट कोई बात हाई स्पीड डीजल (एच एस डी) को लागू नहीं होगी जो उपभोक्ताओं के फुटकर विक्रय के लिए आशयित है, जिसे वनस्पति तेलों से प्राप्त लंबी श्रृंखला फैटी एसिड के एल्काइल एस्टर जिसे आमतौर पर जैव-डीजल के रूप में जाना जाता है, के साथ इतना मिश्रित नहीं है कि मिश्रित डीजल के लिए समय-समय पर भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देशों के अनुरूप हो।”

(iv) क्र. सं. 3 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा जो अक्टूबर, 2022 के पहले दिन से प्रवर्तनीय होगा, अर्थात् :-

“3क	27101930	हाई स्पीड डीजल (एच एस डी) मिश्रित डीजल, जो उपभोक्ताओं के फुटकर विक्रय के लिए आशयित है, जिसे वनस्पति तेलों से प्राप्त लंबी श्रृंखला फैटी एसिड के एल्काइल एस्टर जिसे आमतौर पर जैव-डीजल के रूप में जाना जाता है, के साथ इतना मिश्रित नहीं है कि मिश्रित डीजल के लिए समय-समय पर भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देशों के अनुरूप हो। (i) ब्रांड नाम के बिना (ii) ब्रांड नाम के साथ	रु.3.80 प्रति लीटर रु. 6.20 प्रति लीटर
-----	----------	---	---

[फा. सं. 334/01/2022-टी.आर.यू.]

विक्रम विजय वानेरे, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 11/2017-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 30 जून, 2017 को संख्यांक सा.का.नि. 793(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), में प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 1/2021-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 फरवरी, 2021 द्वारा अंतिमबार संशोधित की गई थी, जो सा.का.नि. 83(अ), तारीख 1 फरवरी, 2021 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 2022

No. 01/2022 -Central Excise

G.S.R. 90(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 11/2017-Central Excise, dated the

30th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 793(E), dated the 30th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, -

- (i) against Sl. No. 2, in column (3), after item (ii), the following proviso shall be inserted with effect from the 1st day of October, 2022, namely:-

“Provided that nothing contained in this Sl. No. shall apply to motor spirit, commonly known as petrol, which is intended for retail sale to consumers, not so blended with ethanol or methanol as conforming to Bureau of Indian Standards specifications from time to time for blended motor spirit.”;

- (ii) after Sl. No. 2 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, with effect from the 1st day of October, 2022 namely: -

“2A.	2710	Motor spirit commonly known as petrol which is intended for retail sale, not so blended with ethanol or methanol as conforming to Bureau of Indian Standards specifications from time to time for blended motor spirit- (i) without a brand name; (ii) with a brand name.	Rs. 3.40 per litre Rs. 4.60 per litre”;
------	------	---	--

- (iii) against Sl. No. 3, in column (3), after item (ii), the following proviso shall be inserted, with effect from the 1st day of October, 2022 namely:-

“Provided that nothing contained in this Sl. No. shall apply to High Speed Diesel (HSD), which is intended for retail sale to consumers, not so blended with alkyl esters of long chain fatty acids obtained from vegetable oils, commonly known as bio-diesels as conforming to Bureau of Indian Standards specifications from time to time for blended diesel.”;

- (iv) after Sl. No. 3 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, with effect from the 1st day of October, 2022 namely: -

“3A.	27101930	High speed diesel (HSD) intended for retail sale, not so blended with alkyl esters of long chain fatty acids obtained from vegetable oils, commonly known as bio-diesels as conforming to Bureau of Indian Standards specifications from time to time for blended diesel - (i) without a brand name; (ii) with a brand name.	Rs. 3.80 per litre Rs. 6.20 per litre”.
------	----------	--	--

[F. No. 334/01/2022-TRU]

VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.

Note : The principal notification No. 11/2017-Central Excise, dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 793(E), dated the 30th June, 2017 and last amended by notification No.1/2021-Central Excise, dated the 1st February, 2021 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 83 (E), dated the 1st February, 2021.